समेकित बाल विकास सेवा (आई सी डी एस)

समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम 1975 में शुरू की गई, जो एक अनोखा प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं की स्वास्थ्य, पोषण एवं विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करना है।

सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठित समेकित बाल विकास सेवा

समेकित बाल विकास सेवाएं मिशन मोड में–सुदृढ़ीकरण के लिए उठाए गए कदमः

- आई ई डी ए सहायक इसनिप के साथ वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (एपीआईपी) को विस्तारित करना।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए विकास मानकों तथा संयुक्त मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड को अपनाना।
- पर्यवेक्षण के दिशानिर्देश सहित पांच चरणीय निगरानी तंत्र की शुरूआत।
- आंगनवाड़ी केंद्रों की ग्रेडिंग एवं प्रत्यायन के लिए प्रारूप दिशानिर्देश तथा सेवा प्रदाताओं एवं अन्य हितधारकों के लिए पुरस्कार।
- संशोधित प्रबंध सूचना प्रणाली (एम आई एस) की शुरूआत।
- प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख नीति निर्माण पर कोर ग्रुप।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि
- पोषण संसाधन प्लेटफार्म (एन आर पी) की शुरूआत।

समेकित बाल विकास सेवा के पुनर्गठन के चरण

कार्यक्रम संबंधी सुधार

- "जोशपूर्ण ई सी ई केंद्र" के रूप में आंगनवाड़ी केंद्र का पुनःस्थापन ताकि वे स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा के लिए ग्राम आउटपोस्ट बन सके।
- आंगनवाड़ी केंद्र का उपयुक्त भवन तथा अवसंरचना।
- सेवाओं के पैकेज का सुदृढ़ीकरण
- तीन वर्ष से कम तथा प्रारंभिक बाल देखरेख और सीखने के परिवेश पर बल देना
- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा का सुदृढ़ीकरण
- पूरक पोषण कार्यक्रम में सुधार
- माताओं के लिए देखरेख एवं पोषण परामर्श

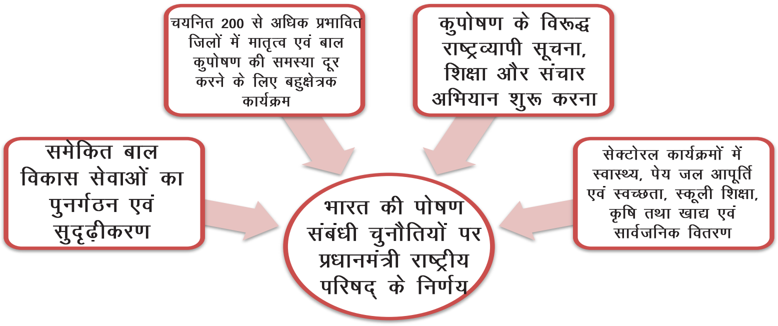

बल दिए जाने वाले क्षेत्र

- सेवाओं के पैकेज को फिर से डिजाइन किया जाना
  - 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे, देखरेख एवं परामर्श तथा समय पर प्रोत्साहन पर बल
  - प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और विकास/स्कूल पूर्व शिक्षा
- प्रभाव, परिणाम तथा निष्कर्ष के संकेतकों पर बल
- समेकित बाल विकास सेवा के लिए सेवा मानक निर्धारित किया जाना
- कार्यक्रम एवं विषय संबंधी सामंजस्य
- सभ्य समाज की भागीदारी से मिशन की समीक्षा
- स्वैच्छिक कार्य–संस्थाओं के साथ मिलकर पोषण, प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख, बाल विकास आदि को बढ़ावा देना
- समुदाय की अधिक भागीदारी
- जन सुनवाई, सामाजिक लेखापरीक्षा एवं प्रकटन का प्रावधान

- गंभीर एवं साधारण रूप से अल्प वजनी बच्चों का प्रबंधन (ग्राम पोषण परामर्श तथा स्नेह शिविर)
- विशेष जरूरत वाले बच्चों पर बल देना

सारणीः पूरक पोषण की लागत में परिशोधन

श्रेणी	विद्यमान मानदंड (16.10.08 से)	संशोधित मानदंड (प्रतिदिन प्रति लाभार्थी)
6–72 माह के बच्चे	4.00 रूपये	6.00 रूपये
गंभीर रूप से अल्प वजनी बच्चे	6.00 रूपये	9.00 रूपये
गर्भवती महिलाएं एवं धात्री माताएं	5.00 रूपये	7.00 रूपये

- मानव संसाधन का सुदृढ़ीकरण
- पेशेवर बाल विकास सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए क्षमता विकास
- सामुदायिक अपनत्व को बढ़ावा देना

◆ **प्रबंधन सुधार**

- विकेंद्रीकृत आयोजना, प्रबंधन तथा स्थिति के अनुरूप संरचना
- अभिसरण सुनिश्चित करना
- अभिशासन सुदृढ़ करना
- समेकित बाल विकास सेवा के एम आई एस का सुदृढ़ीकरण
- सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का प्रयोग
- पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का आवंटन

◆ **संस्थागत सुधार**

- मिशन मोड में समेकित बाल विकास सेवा
- मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षी समितियाँ
- पंचायती राज संस्थानों की अधिक भागीदारी

समेकित बाल विकास सेवाओं के मिशन मोड में सेवाओं के पैकेज का सुदृढ़ीकरण ई सी सी ई डी

ई सी सी ई डी
- ईसीसीई/स्कूल पूर्व और अनौपचारिक शिक्षा
- पूरक पोषण

देखरेख एवं पोषण परामर्श
- आई वाई सी एफ प्रचार एवं परामर्श
- मातृत्व देखरेख और परामर्श
- देखरेख, पोषण, स्वास्थ्य एवं साफ–सफाई की शिक्षा
- अल्प वजनी बच्चों की समुदाय आधारित देखरेख एवं प्रबंधन स्वास्थ्य सेवाएं

स्वास्थ्य सेवाएं
- **टीकाकरण तथा सूक्ष्म पोषक तत्व संपूरण**
  - ♦ स्वास्थ्य जांच
  - ♦ रेफरल सेवाएं

सामुदायिक लामबंदी, जागरूकता, पक्ष समर्थन और आई ई सी
- आईईसी आंदोलन एवं अभियान